(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–997–तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–08–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–189/अपील/1994–95

.....

1– रामगोपाल
2– लल्लू
3– होरिल, पुत्रगण चित्रसेन पटेल
4– रामवदन तनय फरहारी पटेल
5– पारसनाथ तनय जगदीश पटेल
6– रोहिणी तनय जगदीश पटेल
7– गेंदलाल तनय जगदीश पटेल
निवासीगण–ग्राम बिठौली, तहसील सिहावल
जिला–सीधी (म0प्र0) हाल मुकाम ग्राम सरदमन
तहसील मऊगंज, जिला–रीवा(म0प्र0)
8– श्रीमती एकतरिया बेवा जगदीश
9– श्रीमती काली उर्फ पार्वतिया पुत्री चित्रसेन पत्नी बनस्पति प्रसाद
निवासीगण–ग्राम घुरेहठा, तहसील मऊगंज,
10– श्रीमती रतिया पुत्री स्व0 चित्रसेन पत्नी राचरित्र
11– श्रीमती ज्ञानती स्व0 पुत्र चित्रसेन

------आवेदकगण

विरूद्ध

1– इन्द्रवती उर्फ डोहरी पत्नी अर्जून प्रसाद कुर्मी
निवासी–ग्राम घुरेहटा, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा
2– रमई पिता गज्जू
3– गोपाल गज्जू
निवासीगण–बिठौली तहसील सिहावल,
जिला–सीधी (म0प्र0)

------अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/09/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–08–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरदमन स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 312, 358, 359, 360, 365, 370, 372, 418, 431, 366, 368, 371, 397 एवं 408 के खसरा सुधार किये जाने बावत अनावेदिका इन्द्रवती उर्फ डोहरी पुत्री स्व0 बलभद्र द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहॉ पर नायब तहसीलदार हनुमना ने अपने प्रकरण क्रमांक 05/अ–6–अ/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 23.03.92 से अनावेदिका का आवेदन निरस्त किया । इसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 154/अ–6/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 14.09.1994 से अनावेदिका की अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 189/अपील/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2008 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा वर्ष 85–86 में भूमिस्वामी के रूप में अनावेदिका का नाम दर्ज है तथा 2/3 हिस्से पर जरिये वसियतनामे के आधार पर आवेदकगण का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वरिसयतनामे के आधार पर कॉलम नं0 12 में प्रविष्टि नहीं की जा सकती । आवेदकगण के पक्ष में यदि

वसियत थी तब उन्हें विधिवत नामांतरण करने के पश्चात भूमिस्वामी कॉलम में नाम दर्ज कराना चाहिये । इसी कारण अनावेदिका द्वारा खसरा सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा तकनिकी आधार पर अनावेदिका का आवेदन निरस्त करने में अवैधनिकता की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है। इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर अनावेदिका की अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 09.04.2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर